

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक- 151

दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बगहा

सेवा में,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षण शाखा,पटना।

विषय :-

नगर परिषद, बगहा के वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-214/15-16 का अनुपालन कर प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग:-

सं0-एल0ए0/एस.एस-1/श0स्था0नि/14513/16 दिनांक-11.08.2015,

महशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर परिषद, बगहा वित्तिय वर्ष-2010-11 से 2013-14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0-214/15-16 में वर्णित लंबीत कंडिकाओं का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन भवदीय को आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही हैं। कृप्या इसे स्वीकार किया जाय।

विश्वासभाजन

श्री रामाद

2019


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

Per Ramad
02/02/19
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा



[Type text]

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक-152

दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

प्रेषित :-

1. ~~श्री. वी. ए. झा~~ ^{य. ए. झा} लेखापाल (तत्कालीन)
2. कार्यवाह सहायक (तत्कालीन)
नगर परिषद, बगहा

विषय :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वर्ष-2010 -11 से 2013-14 के कंडिका सं0-01 वैट की राशि की कटौती नहीं करने से अधिक भुगतान (राशि-11.38 लाख)

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट में कंडिका सं0-01 में प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बगहा के वितीय वर्ष-2010-11 से 2013-14 तक के जॉच के कम पाया गया है कि नगर परिषद, बगहा में विभिन्न समानो की खरीदारी की गई (सूचि संलग्न) तथा आपूर्तिकर्ताओं से वैट की राशि की कटौती नहीं कि गई तथा अंतिम भुगतान कर दिया गया जिसमें अधिक भुगतान की राशि 1138166रु0 हैं तथा कार्यालय महालेखाकार के द्वारा जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूली करने हेतु अनुशांसा प्राप्त हैं।

अतः आप एक सप्ताह के अंदर परीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित राशि को (कंडिका सं0-01) कोषागार/बैंक/कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा इसे अस्थायी सरकारी राशि के गबन का मामला समझते हुए डिमान्ड एण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हेतु कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

अनुलग्नक- महालेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का कंडिका सं0-01

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षण), बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लेखा परीक्षण शाखा वीर चन्द पटेल मार्ग पटना-800001 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलामवाद पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ समर्पित।

for [Signature]
02/02/19

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद बगहा

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक-153

दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

प्रेषित :-

1. श्री. लालू प्रसाद लेखापाल (तत्कालीन)
2. कार्यवाह सहायक (तत्कालीन)
नगर परिषद, बगहा

विषय :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वर्ष-2010 -11 से 2013-14 के कंडिका सं0-03 सुरक्षित जमा राशि की कटौती नहीं किए जाने के कारण आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट में कंडिका सं0-03 में प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बगहा के वित्तीय वर्ष-2010-11 से 2013-14 तक के जाँच के कम पाया गया है कि नगर परिषद, बगहा में विभिन्न समानो की खरीदारी की गई एवं सुरक्षित जमा राशि की कटौती नहीं कि गई एवं कार्यालय द्वारा **Performance Security** के रूप में राशि कि कटौती आपूर्तिकर्ताओं से नहीं कि गई जिससे आपूर्तिकर्ताओं को अदेय 23,90,149 रु0 लाभ दिया गया तथा कार्यालय महालेखाकार के द्वारा जिम्मेवार व्यक्तियों से कारवाई करने हेतु अनुशांसा प्राप्त हैं।

अतः आप एक सप्ताह के अंदर परीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित राशि के संबंध में अपना पक्ष रखें ताकी उसकी जाँच कर उसके फलाफल से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जा सके। अन्यथा इसे अस्थायी सरकारी राशि के गबन का मामला समझते हुए डिमान्ड एण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हेतु कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

अनुलग्नक- महालेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का कंडिका सं0-03

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा


ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षण), बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लेखा परीक्षण शाखा वीर चन्द पटेल मार्ग पटना-800001 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलामवाद पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ समर्पित।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक- 154

दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

प्रेषित :-

1. ~~श्री. ए. ए. ए. / ए-640/154-34.1.12~~ लेखापाल (तत्कालीन)
 2. कार्यवाह सहायक (तत्कालीन)
 3. भंडारपाल (तत्कालीन)
- नगर परिषद, बगहा

विषय :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वर्ष-2010 -11 से 2013-14 के कंडिका सं0-04
हाईमास्ट लाईट खरीद में अनियमितता (13.09 लाख रु0)।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट में कंडिका सं0-04 में प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बगहा के वितीय वर्ष-2010-11 से 2013-14 तक के जॉच के कम पाया गया है कि नगर परिषद, बगहा में हाईमास्ट लाईट की खरीदारी की गई है एवं जिसमें कई बिन्दुओं पर आपति जताई गयी है जिसमें मुख्यतः अन्य नगर निकाय के स्वीकृत कोटेशन पर हाईमास्ट लाईट कय करने का निर्णय, समान्य बोर्ड/सशक्त स्थाई समिति में कय हेतु निर्णय लेना, बिना अधिष्ठापन प्रमाण पत्र के पुरी राशि का भुगतान कर देना, हाईमास्ट लाईट को भंडार पंजी में दर्ज नहीं करना, हाईमास्ट लाईट की खरीदारी में बिहार वित्त नियमावली का पालन नहीं करना इत्यादि हैं जिसके कारण कार्यालय महालेखाकार के द्वारा भुगतान किये गये राशि 1308732रु0 को आपति के अधीन रखा गया है।

अतः आप एक सप्ताह के अंदर परीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित राशि के संबंध में अपना पक्ष रखें ताकी उसकी जॉच कर उसके फलाफल से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जा सके। अन्यथा इसे अस्थायी सरकारी राशि के गबन का मामला समझते हुए डिमान्ड एण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हेतु कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

अनुलग्नक- महालेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का कंडिका सं0-04

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा


ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षण), बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लेखा परीक्षण शाखा वीर
चन्द पटेल मार्ग पटना-800001 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलामवाद पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ समर्पित।


02/02/19
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक- 155

दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

प्रेषित :-

1. श्री. ए. ए. ए. ए. / 2013-14 लेखापाल (तत्कालीन)
 2. कार्यवाह सहायक (तत्कालीन)
 3. भंडारपाल (तत्कालीन)
- नगर परिषद, बगहा

विषय :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वर्ष-2010-11 से 2013-14 के कंडिका सं0-05 व्हील बेस डस्टबीन के खरीद में अनियमितता (70.49 लाख रु0)

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट में कंडिका सं0-05 में प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बगहा के वित्तीय वर्ष-2010-11 से 2013-14 तक के जॉच के कम पाया गया है कि नगर परिषद, बगहा में व्हील बेस डस्टबीन की खरीदारी की गई है एवं जिसमें कई बिन्दुओं पर आपत्ति जताई गयी है जिसमें मुख्यतः बिहार वित्तीय नियमावली का पालन नहीं करना, **Advertised Tender Enquiry** प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाना, अभिश्रव नहीं उपस्थापित किया जाना, तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पर विचार करने के बाद उच्च गुणवत्ता एवं निम्न दर का अनुपालन किया जाना, समान्य बोर्ड / सशक्त स्थाई समिति में निर्णय लेकर नियमानुसार सहमति के बाद ही कार्यालय स्तर पर निर्णय लेकर समानो कि खरीदारी करना, बीना अधिष्ठापन प्रमाण पत्र के पूरी राशि का भुगतान करना, कार्यपालक पदाधिकारी को प्रस्तुत संचिका के नोटशीट में कहीं भी हस्ताक्षर नहीं कराना इत्यादि के कारण व्यय कि गई राशि 7049006रु0 को कार्यालय महालेखाकार के द्वारा आपत्ति के अधीन रखा गया है।

अतः आप एक सप्ताह के अंदर परीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित राशि के संबंध में अपना पक्ष रखें ताकी उसकी जाँच कर उसके फलाफल से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जा सके। अन्यथा इसे अस्थायी सरकारी राशि के गबन का मामला समझते हुए डिमान्ड एण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हेतु कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

अनुलग्नक- महालेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का कंडिका सं0-05

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षण), बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लेखा परीक्षण शाखा वीर चन्द पटेल मार्ग पटना-800001 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलामवाद पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ समर्पित।

(Signature)
02/02/19
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

[Type text]

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक- 156

दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

प्रेषित :-

1. 9150/31.01.16/रा.स.स.स.स. 341.07/103 लेखापाल (तत्कालीन)
 2. कार्यवाह सहायक (तत्कालीन)
 3. भंडारपाल (तत्कालीन)
- नगर परिषद, बगहा

विषय :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वर्ष-2010-11 से 2013-14 के कंडिका सं0-06 व्हील डस्टबीन एवं पैडल साईकिल के खरीद में अनियमितता (55.18 लाख रू0)

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट में कंडिका सं0-06 में प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बगहा के वित्तीय वर्ष-2010-11 से 2013-14 तक के जॉच के कम पाया गया है कि नगर परिषद, बगहा में व्हील डस्टबीन एवं पैडल साईकिल के खरीद की गई हैं जिसमें कई बिन्दुओं पर आपत्ति जताई गयी है जिसमें मुख्यतः निविदा का प्रकाशन नहीं किया गया तथा अन्य नगर निकाय के आपूर्ति आदेश को ही आधार बनाया गया, बिहार वित्तीय नियमावली का पालन नहीं करना, **Advertised Tender Enquiry** प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाना, अभिश्रव नहीं उपस्थापित किया जाना, तकनिकी एवं वित्तीय निविदा पर विचार करने के बाद उच्च गुणवत्ता एवं निम्न दर का अनुपालन किया जाना, भंडार पंजी में उसे दर्ज नहीं करना, बीना अधिष्ठापन प्रमाण पत्र के पूरी राशि का भुगतान करना, ट्राइसाईकिल के उपयोग संबंधी विवरण नहीं होना इत्यादि के कारण व्यय कि गई राशि-5517639रू0 को कार्यालय महालेखाकार के द्वारा आपत्ति के अधीन रखा गया है।

अतः आप एक सप्ताह के अंदर परीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित राशि के संबंध में अपना पक्ष रखें ताकी उसकी जॉच कर उसके फलाफल से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जा सके। अन्यथा इसे अस्थायी सरकारी राशि के गबन का मामला समझते हुए डिमान्ड एण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हेतु कारवाई प्रारंभ की जाएगी।
अनुलग्नक- महालेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का कंडिका सं0-06

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा


ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षण), बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लेखा परीक्षण शाखा वीर चन्द पटेल मार्ग पटना-800001 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलामवाद पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ समर्पित।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक- 158

दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

प्रेषित :-

1. 2160/58164/4-94/1/1 34183.12 लेखापाल (तत्कालीन)
 2. कार्यवाह सहायक (तत्कालीन)
 3. भंडारपाल (तत्कालीन)
- नगर परिषद, बगहा

विषय :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वर्ष-2010-11 से 2013-14 के कंडिका सं0-08 में 85 वाट सी0एफ0एल0 बल्ब के खरीद में अनियमितता (30.34 लाख रु0)

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट में कंडिका सं0-08 में प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बगहा के वित्तीय वर्ष-2010-11 से 2013-14 तक के जॉच के कम पाया गया है कि नगर परिषद, बगहा में सी0एफ0एल0 बल्ब के खरीद की गई हैं जिसमें कई बिन्दुओं पर आपत्ति जताई गयी है जिसमें मुख्यतः निविदा का प्रकाशन नहीं किया गया तथा अन्य नगर निकाय के आपूर्ति आदेश को ही आधार बनाया गया, बिहार वित्तीय नियमावली का पालन नहीं करना, Advertised Tender Enquiry प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाना, अभिश्रव नहीं उपस्थापित किया जाना, तकनिकी एवं वित्तीय निविदा पर विचार करने के बाद उच्च गुणवत्ता एवं निम्न दर का अनुपालन किया जाना, भंडार पंजी में उसे दर्ज नहीं करना, संचिका दर्ज नहीं करना, बीना अधिष्ठापन प्रमाण पत्र के पूरी राशि का भुगतान करना, सी0एफ0एल0 बल्ब के उपयोग संबंधी विवरण नहीं होना इत्यादि के कारण व्यय कि गई राशि-3033522रु0 को कार्यालय महालेखाकार के द्वारा आपत्ति के अधीन रखा गया है।

अतः आप एक सप्ताह के अंदर परीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित राशि के संबंध में अपना पक्ष रखें ताकी उसकी जॉच कर उसके फलाफल से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जा सके। अन्यथा इसे अस्थायी सरकारी राशि के गबन का मामला समझते हुए डिमान्ड एण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हेतु कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

अनुलग्नक- महालेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का कंडिका सं0-08

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा


ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षण), बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लोखा परीक्षण शाखा वीर चन्द पटेल मार्ग पटना-800001 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलामवाद पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ समर्पित।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक- 159 दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

प्रेषित :-

1. *[Handwritten Signature]* लेखापाल (तत्कालीन)
2. कार्यवाह सहायक (तत्कालीन)
3. भंडारपाल (तत्कालीन)

नगर परिषद, बगहा

विषय :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वर्ष-2010-11 से 2013-14 के कंडिका सं0-09 स्वर्ण
जयंती शहरी रोजगार योजना प्रशिक्षण पर संदेहास्पद भुगतान (18.82 लाख रु0)

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट में कंडिका सं0-09 में प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बगहा के वित्तीय वर्ष-2010-11 से 2013-14 तक के जॉच के कम पाया गया है कि नगर परिषद, बगहा में जयंती शहरी रोजगार योजना का कार्य कम चलाया गया है जिसमें कई बिन्दुओं पर आपत्ति जताई गयी है जिसमें मुख्यतः बिन्दु 8 पर यह अंकित पाया गया है कि संस्थाओं/ एजेंसियों के पास प्रशिक्षण के उपरान्त 30 प्रतिशत प्रशिक्षणाथियों को रोजगार मुहैया कराने कि क्षमता होनी चाहिए, आवेदन पत्रों में अंकित बी0पी0एल संख्या की सत्यता कि जॉच नगर प्रबंधक /कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया, इस प्रशिक्षण हेतु भौतिक लक्ष्य 350 निर्धारित कि गई थी लेकिन कार्यालय द्वारा 1980 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, टूल किट्स का क्रय एवं वितरण प्रशिक्षण प्रदाता को करनी थी लेकिन कार्यालय द्वारा बीना निविदा निकाले अपने स्तर से क्रय किया गया, क्रय किए गये समारिगियों का विपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया, वैट कि कटौती नहीं कि गयी थी और न ही समानो कि खरीदारी पर संस्था द्वारा वैट का भुगतान किया गया था इस प्रकार सरकार को वैट कि रुप में राशि कि हानि हुई विपत्र संख्या अभिश्रव पर नहीं होना भुगतान को संदेहास्पद प्रतीत होना प्रतिवेदित किया गया है। इस कारण व्यय कि गई राशि-1881900रु0 को कार्यालय महालेखाकार के द्वारा आपत्ति के अधीन रखा गया है।

अतः आप एक सप्ताह के अंदर परीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित राशि के संबंध में अपना पक्ष रखें ताकी उसकी जॉच कर उसके फलाफल से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जा सके। अन्यथा इसे अस्थायी सरकारी राशि के गबन का मामला समझते हुए डिमान्ड एण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हेतु कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

अनुलग्नक- महालेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का कंडिका सं0-09

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षण), बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लोखा परीक्षण शाखा वीर
चन्द पटेल मार्ग पटना-800001 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलामवाद पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ समर्पित।

[Handwritten Signature]
कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद बगहा

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक- 166

दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

प्रेषित :-

1. लेखापाल (तत्कालीन)
2. टैक्स दारोगा (तत्कालीन)
नगर परिषद, बगहा

विषय :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वर्ष-2010-11 से 2013-14 के कंडिका सं0-11 विभिन्न मनी रसीदों से प्राप्त राशि जमा नहीं करने/कम जमा करने के संबंध में।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट में कंडिका सं0-11 में प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बगहा के वित्तीय वर्ष-2010-11 से 2013-14 तक के जॉच के कम पाया गया है कि नगर परिषद, बगहा में नगर निकाय के विभिन्न मनी रसीदों से प्राप्त राशि नगर निकाय निधि में उसी दिन या अगले कार्य दिवस को जमा कर देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था लेकिन प्राप्त राशि को किसी दुसरे मद खर्च नहीं करना चाहिए था लेकिन अंकेक्षण के कम में पाया गया कि जयंती विभिन्न मनी रसीदों से प्राप्त राशि को कार्यालय कर्मियों द्वारा अंकेक्षण होने तक जमा नहीं किया गया इस कारण व्यय कि गई राशि-595217रु0 को कार्यालय महालेखाकार के द्वारा आपति के अधीन रखा गया है तथा राशि संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर सरकारी कोष में जमा करने की अनुसंशा प्राप्त है।

अतः आप एक सप्ताह के अंदर परीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित राशि के संबंध में अपना पक्ष रखें ताकी उसकी जॉच कर उसके फलाफल से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जा सके। अन्यथा इसे अस्थायी सरकारी राशि के गबन का मामला समझते हुए डिमान्ड एण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हेतु कारवाई प्रारंभ की जाएगी।
अनुलग्नक- महालेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का कंडिका सं0-11(विवरणी परिशिष्ट-।।। पर संलग्न)

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षण), बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लोखा परीक्षण शाखा वीर चन्द पटेल मार्ग पटना-800001 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलामवाद पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ समर्पित।

For (Signature)
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

कार्यालय नगर परिषद बगहा , प0 चम्पारण

पत्रांक- 161

दिनांक - 02/02/19

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

प्रेषित :-

1. लेखापाल (तत्कालीन)
2. टैक्स दारोगा (तत्कालीन)
नगर परिषद, बगहा

विषय :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वर्ष-2010-11 से 2013-14 के कंडिका सं0-13
दुकानो बकाया किराया राशि (5.08 लाख रु0)।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट में कंडिका सं0-13 में प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बगहा के वित्तीय वर्ष-2010-11 से 2013-14 तक के जॉच के कम पाया गया है कि नगर परिषद, बगहा में नगर निकाय के अवस्थित दुकानो का आवंटन संचिका एवं मॉग और वसूली पंजी अंकक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर परिषद, क्षेत्र अवस्थित 23 दुकानो कि किराया की राशि 507610रु0 विभिन्न दुकानदारो के पास वसूली हेतु लंबित थी जिसकी वसूली नहीं कि गयी। इस कारण व्यय कि गई राशि-507610रु0 को कार्यालय महालेखाकार के द्वारा आपति के अधीन रखा गया है तथा राशि संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर सरकारी कोष में जमा करने की अनुसंशा प्राप्त है।

अतः आप एक सप्ताह के अंदर परीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित राशि को जमा कार्यालय में कराये ताकी उसकी जॉच कर उसके फलाफल से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जा सके। अन्यथा इसे अस्थायी सरकारी राशि के गबन का मामला समझते हुए डिमान्ड एण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हेतु कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

अनुलग्नक- महालेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का कंडिका सं0-13(विवरणी परिशिष्ट-iv पर संलग्न)

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षण), बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लेखा परीक्षण शाखा वीर चन्द पटेल मार्ग पटना-800001 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकार पश्चिमी चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलामवाद पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ समर्पित।

for (Signature)
02/02/19
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बगहा